न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रेनवाल

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 168/2014

रज्जु दिनांकः 09/07/2014

निर्णय दिनांक : 29/06/2017

1. ज्ञान कंवर धर्मपत्नि दौलत सिंह
2. मांगू सिंह पुत्र दौलत सिंह
3. वंशप्रताप सिंह पुत्र दौलत सिंह
4. कल्याण सिंह पुत्र दौलत सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. नाहर सिंह पुत्र अमर सिंह
2. मोहन सिंह पुत्र गणपत सिंह
3. मदन सिंह पुत्र गणपत सिंह
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह

समस्त जातियानः राजपूत, निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजावत एडवोकेट
श्री शेर सिंह नरूका एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीगण
श्री विनय जैन एडवोकेट
श्री कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ल0 4

निर्णय दिनांकः **29/06/2017**

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 248 के आराजी खसरा नंबर 2959 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा व खाता संख्या 249 के आराजी खसरा नंबर 3613/1975 रकबा 6 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम रेनवाल मांजी, पटवार हल्का रेनवाल मांजी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रेनवाल मांजी, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादी का सं. 1 खाता संख्या 248 में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा इसी प्रकार खाता संख्या 249 में वादीगण 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादीगण इसी हिस्सेनुसार अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि का बाहमी बंटवारा करके मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से आपस में सहकाश्तकार होकर उक्त आराजी भूमि पर अपने–अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नंबर 2959 में अपना हिस्सा खसरा नंबर 2958 जो वादीगण का खाता संख्या 383 में दर्ज है के लगवा बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को काफी पैसा व मेहनत कर उपजाऊ व उन्नत बना लिया है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

विधिवत तकासमा एवं तरमीम नहीं होने से पक्षकारान के मध्य काश्त के समय आये दिन मेरकोर एवं सीमाओ को लेकर लडाई झगडा होता रहता है इसलिये वादीगण अपने हिस्से की आराजी को मौके एवं हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक भौतिक कब्जे के आधार पर खाता अलहदा–अलहदा करवाना चाहते है जिससे वादीगण अपने हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त कर सके तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओ का लाभ ले सके। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी मे काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत एवं उपजाऊ बना ली है तथा अभी हाल ही में जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण की नियत में फितूर उत्पन्न हो गया है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जेशुदा आराजी को अपनी बताकर दीगर व्यक्तियो को बिना विभाजन करवाये बिचाने करने की फिराक में है। अभी हाल ही में दिनांक 07/07/2014 को वादीगण अपने हिस्से की आराजी में खरार कराने हेतु ट्रेक्टर लेकर मौके पर गये तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कुछ अनजबी व्यक्तियो को साथ लेकर आराजी पर आये तथा वादीगण के कब्जे की भूमि की और इशारा करते हुये बेचान की बातचीत करने लगे एवं वादीगण द्वारा पूछने पर नाराज होते हुये वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी को बिना तकासमा के ही इस आराजी भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगे और तुम्हे तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर देगे इसलिये वादीगण को अपने हक हकूको की रक्षार्थ यह वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण का पेश करना लाजमी आया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 आराजी को बिना तकासमा करवाये बेचान करने की उपरोक्त मंसूबो में कामयाब हो गये तो वादीगण को नाकाबिले तल्लाफी नुकसान होगा तथा खर्चे से जैरबार होना पडेगा तथा व्यर्थ में मुकदमाबाजी बढेगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना असंभव होगा इसलिये वादीगण के हितो की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो वादीगण के कब्जे काश्त एवं उन्नत उपजाऊ भूमि को दीगर व्यक्तियो को अपनी भूमि बताकर बिना तकासमा करवाये बेचान करे जबकि वादीगण को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा दे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद दर्ज हिस्से एवं वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार वादी संख्या 1 का खसरा नंबर 2959 में हिस्सा की भूमि खसरा नंबर 2958 के लगवा व शेष वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार तकासमा, तरमीम, खाता अलहदा–अलहदा एवं लगान की फेटबंदी किये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हक व हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वयं करे तथा ना ही अपने किसी हाली, सीरी व नौकर से करावे एवं आराजी भूमि को दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल आदि न करे, न आराजी भूमि से वादीगण को बेदखल करे न करावे इस बाबत तहसीलदार फागी को लिखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 11.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री विनय जैन एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20.12.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से श्री सीताराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करना जाहिर करने पर जवाब बंद किया गया। दिनांक 17.01.2017 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर करने के पश्चात दिनांक 07.02.2017 को न्यायालय द्वारा वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 2959 रकबा 11 बीघा 07 एवं खसरा नंबर 3613/1975 रकबा 6 बीघा ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया गया। तहसीलदार फागी को मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरेजात तैयार कर दो–दो प्रतियो में न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने मुताबिक नक्शे कुरैजात वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात निर्णयानुसार प्राप्त हुये। न्यायहित में तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर पक्षकारान की सहमतिनुसार वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम रेनवाल मांझी, तहसील फागी, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है:–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	ज्ञान कंवर ध.प. दौलतसिंह जाति राजपूत सा.देह	2959/1	5.14
		1	5.14
2.	नाहर सिंह पि.मु. अमर सिंह जाति राजपूत सा.देह	2959/2 3613/1975	5.13 2.00
		2	7.13
3.	मोहन सिंह मदन सिंह राजेन्द्र सिंह पि. गणपत सिंह हि.ब. जाति राजपूत सा. देह	3771/1975	2.00
		1	2.00
4.	मांगू सिंह वंश प्रताप सिंह कल्याण सिंह पि. दौलत सिंह हि.ब. कल्याण सिंह ना. बा. वलि माता ज्ञानकंवर जाति राजपूत सा.देह	3772/1975	2.00
		1	2.00

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29/06/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

ज्ञान कंवर व अन्य

बनाम

नाहर सिंह व अन्य

::– वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 168/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम रेनवाल मांझी, तहसील फागी जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है। राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 62 की पालना में खसरा बटा नंबरान को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। शेष विवरण पुश्त पर अंकित है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/06/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	ज्ञान कंवर ध.प. दौलतसिंह जाति राजपूत सा.देह	2959/1	5.14
		1	5.14
2.	नाहर सिंह पि.मु. अमर सिंह जाति राजपूत सा.देह	2959/2 3613/1975	5.13 2.00
		2	7.13
3.	मोहन सिंह मदन सिंह राजेन्द्र सिंह पि. गणपत सिंह हि.ब. जाति राजपूत सा. देह	3771/1975	2.00
		1	2.00
4.	मांगू सिंह वंश प्रताप सिंह कल्याण सिंह पि. दौलत सिंह हि.ब. कल्याण सिंह ना.बा. वलि माता ज्ञानकंवर जाति राजपूत सा.देह	3772/1975	2.00
		1	2.00

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)